


**MJC No-1789/2025, MJC No-1401/2025 एवं MJC No-1763/2025** तथा अन्य सदृश्य वादो में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या-02/2017 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-07ए/सं0अभि0(असैनिक) 01-03/2019{06} लो0से0आ0/गो0 दिनांक-04.09.2025 के द्वारा विभाग आवंटित करते हुए कुल 124 अतिरिक्त अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को नियुक्ति हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने के उपरान्त पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7824(एस0) दिनांक-08.09.2025 द्वारा अनारक्षित कोटि के 26 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी गयी है। पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7824(एस0) दिनांक-08.09.2025 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग में नियुक्ति हेतु 26 अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का जांच/मूल प्रमाण पत्रों की जांच (Certificate Verification) दिनांक-10.09.2025 पूर्वाह्न 9:00 बजे से सिंचाई भवन के प्रथम तल पर स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया गया था। जिसमें निम्नांकित 04 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, जिनका अनुक्रमांक एवं नाम निम्नवत है:-

क्र0	जांच/सत्यापन की तिथि	समय एवं अनुक्रमांक (10:00 बजे पूर्वाह्न से)				कुल
1	2	3	4	5	6	7
		अनुक्रमांक	नाम	अनुक्रमांक	नाम	
01	06.04.2026	225788	RAJ KUMAR	228094	JYOTSHNA KUMARI	04
		211235	PRANJAL GUPTA	209910	RASHMI KUMARI	

उक्त अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का जांच (Certification Verification) हेतु दिनांक-06.04.2026 को प्रथम तल पर स्थित उप सचिव-1 (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कोषांग में पूर्वाह्न 10:00 बजे से निर्धारित किया गया है।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत काउंसलिंग में भाग लेनेवाले आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एवं महत्वपूर्ण निर्देश के साथ प्रपत्र जल संसाधन विभाग के विभागीय वेबसाइट <https://wrd.bihar.gov.in/> एवं <https://state.bihar.gov.in/wrd/> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि काउंसलिंग/सत्यापन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशों से अवगत रहने हेतु उक्त विभागीय वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करेंगे।

नोट :- यदि अनुशंसित अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जांच हेतु उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में विभाग एकपक्षीय निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। काउंसलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

  
(संजय कुमार)  
उप सचिव-01(प्रबंधन)


ज्ञापांक- 9/ए0-01-01/2025-

1100

पटना/दिनांक- 02/03/2026

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को राज्य एवं राज्य के बाहर के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

  
उप सचिव-01(प्रबंधन)